



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276238
CG-DL-E-16092026-276238

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 541]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2026/भाद्र 16, 1948

No. 541]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2026/BHADRA 16, 1948

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर 2026

फा. सं. सीईए-टीएच-17/1/2021.—टीईटीडी प्रभाग—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 177 की उपधारा (2) के खंड (e) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) द्वितीय संशोधन विनियमन, 2026 तथा उसके संशोधनों का (ऐसे निरसन से पूर्व किए गए अथवा किए जाने से रह गए कार्यों के संबंध में छोड़कर), अधिक्रमण करते हुए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जिन निम्नलिखित प्रारूप विनियमों के संशोधन का प्रस्ताव करता है, उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 177 की उपधारा (3) के अधीन यथापेक्षित, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों अथवा सुझावों पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में आक्षेप अथवा सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य अभियंता, विधि प्रभाग, 6वां तल, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली – 110066, अथवा ई-मेल: celegal-cea@gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप विनियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) द्वितीय संशोधन विनियमन, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक), 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 106ख के उप-विनियम (20) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः -

“106ख (20) 1 जुलाई 2027 के बाद शुरू होने वाले नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र में कम से कम पंद्रह प्रतिशत इनवर्टरों में ग्रिड-फॉर्मिंग नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही, बैटरी ऊर्जा संचय प्रणाली के सभी पीसीएस में ग्रिड-फॉर्मिंग नियंत्रण होना चाहिए, ताकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से संयोजकता के लिए तकनीकी मानक) विनियमों में निर्दिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं का पालन किया जा सके।

बशर्ते कि 1 जुलाई 2027 के बाद शुरू होने वाले भूमि-स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र और तटवर्ती पवन ऊर्जा संयंत्र में एक ही जगह पर ऊर्जा संचय प्रणाली लगी होनी चाहिए। इस प्रणाली की संचय क्षमता कम से कम दो (2) घंटे की होनी चाहिए और इसकी क्षमता संयंत्र की स्थापित क्षमता के कम से कम दस प्रतिशत (10%) के बराबर होनी चाहिए।

(स्पष्टीकरण- यदि सौर संयंत्र 100 मेगावाट का है, तो संचय की आवश्यकता 2 घंटे के लिए कम से कम 10 मेगावाट होगी।)

इसके अतिरिक्त, भूमि-स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र तथा तटवर्ती पवन ऊर्जा संयंत्र, जो 1 जुलाई 2029 के बाद और 30 जून 2031 तक चालू किए जाएंगे, उनमें उसी स्थान पर ऊर्जा संचय प्रणाली लगी होनी चाहिए। इस ऊर्जा संचय प्रणाली की संचय क्षमता कम से कम चार (4) घंटे की होनी चाहिए और इसकी क्षमता संयंत्र की स्थापित क्षमता के कम से कम दस प्रतिशत (10%) के बराबर होनी चाहिए।

(स्पष्टीकरण- यदि सौर संयंत्र 100 मेगावाट का है, तो संचय की आवश्यकता 4 घंटे के लिए कम से कम 10 मेगावाट होगी।)

इसके अतिरिक्त, ग्रिड-फॉर्मिंग क्षमताओं या ईएसएस क्षमता की आवश्यकता के प्रतिशत में किसी भी परिवर्तन को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।”

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./310/2026-27]

टिप्पण: मूल विनियमन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या सीईए-टीएच-17/1/2021-टीईटीडी डिवीजन, तारीख 23 दिसंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 3 September, 2026

F. No. CEA-TH-17/1/2021-TETD Division.—The following draft regulations, which the Central Electricity Authority proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 177 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Electricity Authority hereby makes the amendment in the Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of Electric Plants and Electric Lines) 2nd Amendment, Regulations, 2026, are hereby published, as required under sub-section (3) of section 177 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period specified above shall be considered by the Central Electricity Authority.

The objections or suggestions, if any, on the said draft regulations may be sent to the Chief Engineer, Legal Division, Central Electricity Authority, 6th Floor, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi – 110066, or through e-mail: celegal-cea@gov.in.

Draft Regulations

1. **Short title and commencement:** – (1) These Regulations may be called the Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of Electric Plants and Electric Lines) 2nd Amendment, Regulations, 2026.

(2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said regulation, after regulation 106B (19), the following regulation substituted, namely: -

“106B (20) The renewable energy power plant which are commissioned after 1st July 2027 shall have at least fifteen percent of inverter with grid forming control and all PCS of battery energy storage system shall have grid forming control to comply with the technical requirements as specified in Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations:

Provided that the ground-mounted Solar Power Plant and on-shore Wind Power Plant which are commissioned after 1st July 2027 shall be equipped with co-located Energy Storage System (ESS) having a minimum storage duration of two (2) hours and a capacity equivalent to at least ten percent (10%) of the installed capacity of the Plant.

(Explanation- If the Solar Plant is 100 MW, the minimum storage requirement will be 10 MW for 2 Hours.)

Provided further that the ground-mounted Solar Power Plant and on-shore Wind Power Plant which are commissioned after 1st July 2029 and up to 30th June 2031 shall be equipped with co-located Energy Storage System (ESS) having a minimum storage duration of four (4) hours and a capacity equivalent to at least ten percent (10%) of the installed capacity of the Plant.

(Explanation- If the Solar Plant is 100 MW, the minimum storage requirement will be 10 MW for 4 Hours.)

Provided further that any change in the percentage of requirement of grid forming capabilities or ESS capacity shall be notified by Authority from time to time.”

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./310/2026-27]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification No. CEA-TH-17/1/2021-TETD Division, dated the 23rd December, 2022.